

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 74/2014

दायर दिनांक: 22.07.2014

उनवान

1. मृतक मांगीलाल पुत्र गोपाल
- 1/1 लोकेश कुमार नागर पुत्र मांगीलाल आयु 32 वर्ष
- 1/2 उमा नागर पुत्री मांगीलाल आयु 30 वर्ष
- 1/3 गीताबाई पत्नि स्व० मांगीलाल आयु 60 वर्ष जातियान धाकड़ निवासीगण पटना तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. भंवर लाल आयु 84 पुत्र गोपाल जाति धाकड़
2. शम्भू दयाल आयु 54 पुत्र गोपाल जाति धाकड़
3. घनश्याम आयु 51 पुत्र गोपाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम पटना तह० अटरू जिला बारां (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक एस० बी० बी० जे० शाखा—अटरू जिला बारां।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज०
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी:— विद्वान अभिभाषक श्री बट्टी लाल नागर

प्रतिवादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 14/12/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 25.01.2017 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी पालना में तहसीलदार, अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/238 दिनांक 19.03.2020 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाता है, कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना की खाता संख्या 135 किता 6 रकबा 4.88 है0 व ग्राम महाराजपुरा की खाता संख्या 112 किता 3 रकबा 1.22 है0, में वादीगण के पिता मांगीलाल का 1/4 व प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादीगण लोकेश कुमार पुत्र उमा पुत्री गीताबाई पत्नि स्व0 मांगीलाल जाति धाकड़ सा0 हेद रहन एस0बी0आई शाखा अटरू के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

खाता नं0	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
112	705 पश्चिम	0.30	जाव 2	3.20
			0.20	
			चाही 2	3.20
			0.10	
किता 1		0.30		6.40

2. प्रतिवादी रमेश, जोधराज, कल्लूप्रसाद पुत्र उर्मिला पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 शंभूदयाल घनश्याम पुत्र गोपाल हिस्सा 2/3 जाति धाकड़ सा0 देह रहन एस0बी0आई0 अटरू हिस्सा भंवरलाल घनश्याम के रहन खाते में दर्ज रहेगी।

खाता नं0	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
112	705 पूर्व	0.40	जाव 2	3.52
	मि0नं0		0.22	
			चाही 2	5.76
	706	0.50	चाही 2	6.40
			0.20	
			जाव 2	
			0.30	4.80
	708 / 1549	0.02	जाव 2	0.32
किता 3		0.92		20.80

3. वादीगण लोकेश कुमार पुत्र उमा पुत्री गीता बाई पत्नि स्व० मांगीलाल जाति धाकड़ रहन एस०बी०आई० शाखा अटरू रहन एस०बी०आई० अटरू के खाते दर्ज रहेगी।

खाता नं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
135	2/1422 उत्तर	0.05	माल	0.60
	4 उत्तर	0.72	माल	8.64
	3/1416	0.02	माल 1	0.24
	64/1425	0.02	माल 1	0.24
	212 दक्षिण	0.41	माल 1	4.92
	किता 5	1.22		14.64

4. प्रतिवादीगण रमेश, जोधराज, कल्लूप्रसाद, पुत्र उर्मिला पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 शम्भूदयाल घनश्याम पुत्र गोपाल हिस्सा 2/3 जाति धाकड़ सा० देह रहन एस०बी०आई० शाखा अटरू हिस्सा भंवरलाल घनश्याम शम्भूदयाल

खाता नं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
135	2/1422 दक्षिण	0.05	माल 1	0.60
	4 मि०नं०	2.24	माल 1	26.88
	65	0.12	माल 1	1.44
	212	1.25	माल 1	15.00
	किता 4	3.66		43.92

उपरोक्तानुसार वादीगण/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इत्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 74/2014

उनवान

1. मृतक मांगीलाल पुत्र गोपाल
- 1/1 लोकेश कुमार नागर पुत्र मांगीलाल आयु 32 वर्ष
- 1/2 उमा नागर पुत्री मांगीलाल आयु 30 वर्ष
- 1/3 गीताबाई पत्नि स्वं0 मांगीलाल आयु 60 वर्ष जातियान धाकड़ निवासीगण पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. भंवर लाल आयु 84 पुत्र गोपाल जाति धाकड़
2. शम्भू दयाल आयु 54 पुत्र गोपाल जाति धाकड़
3. घनश्याम आयु 51 पुत्र गोपाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम पटना तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा—अटरू जिला बारां।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां राज0
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी:— विद्वान अभिभाषक श्री बट्टी लाल नागर

प्रतिवादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना की खाता संख्या 135 कित्ता 6 रकबा 4.88 है0 व ग्राम महाराजपुरा की खाता संख्या 112 कित्ता 3 रकबा 1.22 है0, में वादीगण के पिता मांगीलाल का 1/4 व प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:—

1. वादीगण लोकेश कुमार पुत्र उमा पुत्री गीताबाई पत्नि स्व० मांगीलाल जाति धाकड़ सा० हेद रहन एस०बी०आई शाखा अटरू के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

खाता नं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
112	705 पश्चिम	0.30	जाव 2	3.20
			0.20	
			चाही 2	3.20
			0.10	
किता 1		0.30		6.40

2. प्रतिवादी रमेश, जोधराज, कल्लूप्रसाद पुत्र उर्मिला पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 शंभूदयाल घनश्याम पुत्र गोपाल हिस्सा 2/3 जाति धाकड़ सा० देह रहन एस०बी०आई० अटरू हिस्सा भंवरलाल घनश्याम के रहन खाते में दर्ज रहेगी।

खाता नं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
112	705 पूर्व	0.40	जाव 2	3.52
	मि०नं०		0.22	
			चाही 2	5.76
	706	0.50	चाही 2	6.40
			0.20	
			जाव 2	
			0.30	4.80
	708 / 1549	0.02	जाव 2	0.32
किता 3		0.92		20.80

3. वादीगण लोकेश कुमार पुत्र उमा पुत्री गीता बाई पत्नि स्व० मांगीलाल जाति धाकड़ रहन एस०बी०आई० शाखा अटरू रहन एस०बी०आई० अटरू के खाते दर्ज रहेगी।

खाता नं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
135	2 / 1422 उत्तर	0.05	माल	0.60
	4 उत्तर	0.72	माल	8.64
	3 / 1416	0.02	माल 1	0.24
	64 / 1425	0.02	माल 1	0.24

212 दक्षिण	0.41	माल 1	4.92
किता 5	1.22		14.64

4. प्रतिवादीगण रमेश, जोधराज, कल्लूप्रसाद, पुत्र उर्मिला पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 शम्भूदयाल घनश्याम पुत्र गोपाल हिस्सा 2/3 जाति धाकड़ सा0 देह रहन एस0बी0आई0 शाखा अटरू हिस्सा भंवरलाल घनश्याम शम्भूदयाल

खाता नं0	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
135	2/1422 दक्षिण	0.05	माल 1	0.60
	4 मि0नं0	2.24	माल 1	26.88
	65	0.12	माल 1	1.44
	212	1.25	माल 1	15.00
	किता 4	3.66		43.92

उपरोक्तानुसार वादीगण/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह
X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.12.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)